न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी– श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
71 / प्रा.पत्र / 2018	02.05.2018	21.10.2020

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी
–प्रार्थी

–बनाम–

1. श्री महावीर जैन पुत्र श्री कस्तुर चन्द जैन, विक्रेता, मैसर्स खटौड ट्रेडर्स, पाटन चौराहा, तालेडा, जिला बून्दी। निवासी–पाटन चौराहा, तालेडा, जिला बून्दी।
2. श्रीमती इन्द्रा जैन पत्नि श्री महावीर जैन, प्रोपराईटर मैसर्स खटौड ट्रेडर्स, पाटन चौराहा, तालेडा, जिला बून्दी। निवासी–पाटन चौराहा, तालेडा, जिला बून्दी।
3. मैसर्स खटौड खटौड ट्रेडर्स, पाटन चौराहा, तालेडा, जिला बून्दी।
4. श्री जयराम चौधरी पुत्र श्री पुनाराम चौधरी, नौमिनी मैसर्स देसाई ब्रदर्स, 89, अटवाल कॉम्पलेक्स, गली नं.–2, कृष्णा नगर, बजरंग नगर, पुलिस लाईन रोड, कोटा–324006 एवं नौमिनी मैसर्स देसाई ब्रदर्स लिमि0, सी–33, स्टेट वुलन मिल कॉलोनी, बिछवाल, बीकानेर। निवासी–75, गुरालियो की ढाणी, लुखु लूखू, धोरीमन्ना, बाडमेर–344704।
5. मैसर्स देसाई ब्रदर्स, 89, अटवाल कॉम्पलेक्स, गली नं.–2, कृष्णा नगर, बजरंग नगर, पुलिस लाईन रोड, कोटा–324006।
6. मैसर्स देसाई ब्रदर्स लिमि0, सी–33, स्टेट वुलन मिल कॉलोनी, बिछवाल, बीकानेर।
7. श्री ओमप्रकाश हर्ष पुत्र श्री देवकृष्ण हर्ष, नौमिनी मैसर्स श्री राम पापड प्राईवेट लिमिटेड, एफ–138 एवं 139, बीछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर–334006। निवासी–डी–9, मुरलीधर व्यास नगर, वार्ड नं.–6, बीकानेर–334004।
8. मैसर्स श्री राम पापड प्राईवेट लिमिटेड, एफ–138 एवं 139, बीछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर–334006।

–अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से– श्री गिरिराज शर्मा, खा0सु0अधिकारी।
अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से अभिवक्ता श्री सतीश कुमार उपस्थित है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

–: निर्णय :–

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना–पत्र में निम्नांकित बिन्दु अंकित किये हैः–

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 एवं क्रमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/470 दिनांक 09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षैत्र, जिला बून्दी आंवटित किया गया है और अधिसूचना क्रमांक एफएसएसए/नोटिफिकेशन/ 2011/496 दिनांक 11.03.2012 के अनुसार बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षैत्र मेरे कार्य क्षैत्र में आते है।
2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.10.2017 को समय 12:00 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु पाटन चौराहा, तालेडा फर्म खटोड ट्रेडर्स पर पहुंचा। वहां पर श्री महावीर जैन आ0 कस्तुर चन्द जैन, विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया।
3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थ सहित फर्म पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा पौली पैंकिंग प्रत्येक 400 ग्राम के 70 नग उपलब्ध थे। उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, पौली पैकिंग सहित ही नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा, पौली पैकिंग (प्रत्येक 400 ग्राम) के 4 पैकिंग नग (4x400gm) वास्ते जांच खरीदे। जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 240/– नगद देकर रसीद प्राप्त की।
4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा पौली पैंकिंग प्रत्येक 400 ग्राम के 4 नगों को पौली पैकिंग सहित 4 बराबर भागों (प्रत्येक भाग में 1 नग) में विभाजित किया। प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू–1142 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी डॉ सुशील चन्द जैन द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू–1142 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होनें चारों

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी

नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।

5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.–6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।
6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2017 / 445–447 दिनांक 10.11.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 767 / एफएसएसए / कोटा / एक्ट / 2017 / 783 दिनांक 01.11.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा, स्बस्टेण्डर्ड (Sunstandard) पाया गया।
7. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही के तहत खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा, मैसर्स खटौड खटौड ट्रेडर्स, पाटन चौराहा, तालेडा, जिला बून्दी द्वारा मैसर्स देसाई ब्रदर्स, 89, अटवाल कॉम्पलेक्स, गली नं.–2, कृष्णा नगर, बजरंग नगर, पुलिस लाईन, कोटा–324006 से बिल संख्या 6050002551 दिनांक 22.09.2017 द्वारा क्रय करना बताया एवं खरीद बिल की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपी प्रस्तुत की। मैसर्स देसाई ब्रदर्स, 89, अटवाल कॉम्पलेक्स, गली नं.–2, कृष्णा नगर, बजरंग नगर, पुलिस लाईन, कोटा के नाम से राजस्थान राज्य में संचालित सभी ब्रांच / युनिट / ऑफिस / गोदाम के नौमिनी श्री जयराम चौधरी आ0 पूनाराम चौधरी निवासी–75, गुरालियो की ढाणी, लुखु लूखू, धोरीमन्ना, बाडमेर हैं। अतः इस प्रकरण में श्री जयराम चौधरी एवं कम्पनी के कोटा डिपो मैसर्स देसाई ब्रदर्स, 89, अटवाल कॉम्पलेक्स, गली नं.–2, कृष्णा नगर, बजरंग नगर, पुलिस लाईन, कोटा को भी पक्षकार बनाया गया है। मैसर्स देसाई ब्रदर्स ने उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा तथा मैसर्स देसाई ब्रदर्स लिमि0, सी–33, स्टेट वुलन मिल कॉलोनी, बिछवाल, बीकानेर से बिल संख्या 9412200132 दिनांक 03.09.2017 द्वारा क्रय करना बताया गया है एवं खरीद बिल की प्रतिलिपी पेश की है तथा मैसर्स देसाई ब्रदर्स, बीकानेर के नौमिनी श्री जयराम चौधरी है। अतः इस प्रकरण में नौमिनी एवं कम्पनी के बीकानेर डिपो को भी पक्षकार बनाया गया है। मैसर्स देसाई ब्रदर्स, बीकानेर ने उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा, मैसर्स राम पापड प्राईवेट लिमिटेड, एफ–138 एवं 139, बीछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ बिल संख्या एस0आर0पी0 / 1877 / 2017–18 दिनांक 02.09.2017 द्वारा क्रय करना बताया एवं खरीद बिल की प्रति पेश की है। तथा मैसर्स श्री राम पापड बीकानेर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त फर्म के नौमिनी श्री ओमप्रकाश हर्ष आ0 श्री देवकृष्ण हर्ष, निवासी–डी–9, मुरलीधर व्यास नगर, वार्ड नं. 6,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज0)

बीकानेर–334004 है। अतः इस प्रकरण में नौमिनी श्री ओमप्रकाश हर्ष एवं फर्म मैसर्स श्री राम पापड प्राईवेट लिमिटेड, एफ–138 एवं 139, बीछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर–334006 को अन्तिम पक्षकार बनाया गया है। तथा इस प्रकरण में मैसर्स श्री राम पापड प्राईवेट लिमिटेड, एफ–138 एवं 139, बीछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर–334006 ही विनिर्माता एवं पैकिंगकर्ता फर्म को अन्तिम पक्षकार बनाया गया।

8. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र कमांक एफएसएसए/2018/140 दिनांक 17.04.2018 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत स्बस्टेण्डर्ड (Sunstandard) खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 दिनांक 01.08.2018 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि अभिहीत अधिकारी जांच हेतु जो नमूना संग्रहित नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा पौली पैकिंग 400 ग्राम का जो नमूना उसका अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 मात्र खैरूज विक्रेता है न की उत्पादक व विनिर्माता। इसलिए अप्रार्थी 1 लगायत 3 का कोई उत्तदरायित्व नहीं बनता हैं। अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 जैसा बिल पैकिंगशुदा माल क्रय करता है वैसा का वैसा ही ग्राहक को पैकिंगशुदा माल बेचता है। इसमें से न कोई चीज निकालता है और न ही इसमें कोई चीज मिलाता है क्योकि अभिहीत अधिकारी द्वारा परिवाद में यह बताया गया है कि उक्त नमूना जांच में पैकिंगशुदा ही लिया गया है व अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा निर्मित व पैकिंग फर्म है जो पूरे देशभर में विश्वसनीय ब्राण्ड है एव लाईसेन्सशुदा कम्पनी है। अतः अप्रार्थी 1 लगायत 3 का कोई उत्तरदायित्व इस परिवाद में नहीं बनता है। ऐसी सूरत में परिवादी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत जवाबकर्ता के विरूद्व परिवाद दायर किया जाना कतई गलत है। प्रस्तुत प्रकरण किसी भी प्रकार से स्बस्टेण्डर्ड (Sunstandard) के अंतर्गत नहीं आता हैं। प्रश्नगत स्वीकृति प्रावधानों के समुचित किए बिना प्रदान की गई है। उक्त परिवाद न्यायहित में निरस्त किया जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 3 से जांच हेतु संग्रहित नमूना नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा पौली पैकिंग 400 ग्राम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बतायी गई है न ही उक्त खाद्य पदार्थ को खाने से उपभोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अत: श्रीमान् से प्रार्थना है कि उक्त परिवाद में उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जवाबकर्ता के विरूद्व जारी प्रश्नगत नोटिस अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 न्यायहित में निरस्त होने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 दिनांक 01.08.2018 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया नोटिस खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 गलत एवं विधि विरूद्व है। अप्रार्थी संख्या 6 डिस्ट्रीब्युटर फर्म है। अप्रार्थी संख्या 5 उक्त फर्म का माल विक्रय करने का माल डिपो है जो बजरंग नगर, पुलिस लाईन, कोटा में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 4 श्री जयराम चौधरी आ0 पूनाराम चौधरी निवासी बाडमेर राजस्थान अप्रार्थी संख्या 6 के नौमिनी है। तथा अप्रार्थी संख्या 8 मैसर्स श्री राम पापड प्राई0लि0, बीकानेर अभिहीत अधिकारी जांच हेतु संग्रहित नमूने नमकीन,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी

ब्राण्ड-पिटारा पौली पैकिंग 400 ग्राम के निर्माता एवं उत्पादक फर्म है, जिसके अप्रार्थी संख्या 7 (फर्म) व अप्रार्थी संख्या 8 नौमिनी है।

अभिहीत अधिकारी द्वारा जांच हेतु संग्रहित किये गये नमूने नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा पौली पैकिंग 400 ग्राम लिया गया है व डिस्ट्रीब्युटर फर्म अप्रार्थी संख्या 6 व 8 से जरिये बिल कय करता है। तथा अप्रार्थी संख्या 8 निर्माता एंव उत्पादक फर्म पैकिंगशुदा माल डिस्ट्रीब्युटर को माल सप्लाई करता है। वैसा ही माल डिस्ट्रीब्युटर अपने एरिया के दुकानदारों का सप्लाई करता है। इसमें से न कोई चीज निकालता है और न ही इसमें कोई चीज मिलाता है व जरिये बिल ही अपने निचे के दुकानदारों को सप्लाई करता है। अप्रार्थी संख्या 6 विधिवत् लाईसेन्सशुदा रजिस्ट्रर्ड फमै है तथा अप्रार्थी संख्या 5 उक्त फर्म का डिपो है एवं अप्रार्थी संख्या 4 उक्त फर्म के डिस्ट्रीब्युटर एवं नौमिनी है। क्योकि अभिहीत अधिकारी द्वारा परिवाद में यह बताया गया है कि उक्त नमूना जांच में पैकिंगशुदा ही लिया गया है व अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा निर्मित व पैकिंग फर्म है जो पूरे देशभर में विश्वसनीय ब्राण्ड है एव लाईसेन्सशुदा कम्पनी है। अतः अप्रार्थी 4 लगायत 6 डिस्ट्रीब्युटर फर्म का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। ऐसी सूरत में परिवादी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत जवाबकर्ता के विरूद्व परिवाद दायर किया जाना कतई गलत है। प्रस्तुत प्रकरण किसी भी प्रकार से स्बस्टेण्डर्ड (Sunstandard) के अंतर्गत नहीं आता हैं। प्रश्नगत स्वीकृति प्रावधानों के समुचित किए बिना प्रदान की गई है। उक्त परिवाद न्यायहित में निरस्त किया जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 3 से जांच हेतु संग्रहित नमूना नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा पौली पैकिंग 400 ग्राम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बतायी गई है न ही उक्त खाद्य पदार्थ को खाने से उपभोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो ऐसी भी शिकायत किसी उपभोक्ता ने नहीं की है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उक्त परिवाद में उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुएं जवाबकर्ता के विरूद्व जारी प्रश्नगत नोटिस अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 न्यायहित में निरस्त होने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 8 दिनांक 01.08.2018 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया नोटिस खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 गलत एवं विधि विरूद्व है। अप्रार्थी संख्या 8 निर्माता एवं उत्पादक फर्म है व अप्रार्थी संख्या 7 फर्म के नौमिनी है। अभिहित अधिकारी द्वारा जांच हेतु संग्रहित नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा पौली पैकिंग 400 ग्राम का नमूना जो लिया गया है। वह विपक्षी कम संख्या 8 द्वारा विनिमित्त एवं पैकिंगकर्ता फर्म का उत्पाद है। जिसकी ख्याति देशभर में विश्वसनीय तथा बेहतर ब्राण्ड के मानक हेतु विख्यात है एवं उक्त विपक्षी कम संख्या 8 फर्म विधिवत लाईसेन्सशुदा रजिस्टर्ड फर्म है। यह कि विपक्षी कम संख्या से जांच हेतु संग्रहित नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा पौली पैकिंग 400 ग्राम जांच में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बताई गई है न ही उक्त खाद्य पदार्थ को खाने से किसी उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडा हो ऐसी भी शिकायत किसी उपभोक्ता ने नही की है। प्रस्तुत प्रकरण किसी भी प्रकार से जांच में स्बस्टेण्डर्ड (Sunstandard) के प्रकरण में नहीं आता है और अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अतंर्गत दी गई प्रश्नगत स्वीकृति प्रावधानों के समुचित अवलोकन की गई है। परिवाद निरस्त किया जाकर प्रश्नगत नोटिस विरूद्व जवाबकर्ता न्यायहित में निरस्तनीय है।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अभिवक्ता समाअत की गई।

प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी अपने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा का विनिर्माण, भण्डारण एवं विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2 (ii) का

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी

उल्लंघन एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन / लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थीगण कम संख्या 1 लगायत 8 में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि फर्म द्वारा निर्मित नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा पौली पैकिंग 400 ग्राम का सेम्पल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया था। जो जॉच में स्बस्टेण्डर्ड (Sunstandard) घोषित किया गया हैं। नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई जिससे मानव जीवन पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पडता। जांच हेतु संगहित नमूना नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा पौली पैकिंग 400 ग्राम अवधि पार नहीं है। इस आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रकरण का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करे।

हमने पत्रावली व उसके साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस प्रार्थी व अप्रार्थी के अभिवक्ता पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा खाद्य विश्लेषक, कोटा की जांच रिपोर्ट में स्बस्टेण्डर्ड (Sunstandard) घोषित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने अपने प्रतिष्ठान पर स्बस्टेण्डर्ड (Sunstandard) खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा स्बस्टेण्डर्ड (Sunstandard) का खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 भी दोषी है। अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को उक्त स्बस्टेण्डर्ड (Sunstandard) खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा की आपूर्ति की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को अप्रार्थी संख्या 7 व 8 श्री ओमप्रकाश हर्ष पुत्र श्री देवकृष्ण हर्ष, नौमिनी मैसर्स श्री राम पापड प्राईवेट लिमिटेड एफ–138 एवं 139, बीछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर–334006। निवासी–डी–9, मुरलीधर व्यास नगर, वार्ड नं.–6, बीकानेर फर्म नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा के मालिक / लाईसेन्स धारक है उक्त स्बस्टेण्डर्ड (Sunstandard) खाद्य पदार्थ नमकीन, ब्राण्ड–पिटारा की विक्रय हेतु आपूर्ति की गई है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को 10,000 / – (अक्षरे–दस हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 को 15,000 / – (अक्षरे–पन्द्रह हजार रूपये) एवं अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 8 को 40,000 / – (अक्षरे–चालीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)